न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरुण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 106/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– आदम खां पुत्र विलाल खां 2– भूरे खां पुत्र विलाल खां जातियान मुसलमान निवासी मेहताब का बेरा (धारवीकलां) तहसील शिव जिला बाडमेर		1– हनीफ खां पुत्र रायधन खां 2– मेराण खां पुत्र रायधन खां 3– अरबाब खां पुत्र रायधन खां 4– अता मोहम्मद पुत्र रायधन खां 5– मु0 धाई देवी पत्नी रायधन खां सभी जाति मुसलमान निवासी मेहताब का बेरा, तहसील शिव जिला बाडमेर 6– ईसे खां पुत्र विलाल खां 7– मेहराण खां पुत्र विलाल खां 8– पठाण खां पुत्र अदरीम खां 9– यारू खां पुत्र अदरीम खां 10– कमरूदीन पुत्र अदरीम खां 11–ईलमदीन खां पुत्र अदरीम खां 12–थायरा खां पुत्र गोराम खां 13–जमें खां पुत्र फरीद खां जातियान मुसलमान निवासी मेहताब का बेरा, (धारवीकलां) तहसील शिव, जिला बाडमेर 14–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव जो राजस्व आवेदन पत्र संख्या 19/2019 अनवान हनीफ खां वगैरा बनाम आदम खां वगैरा मे दिनांक 5–4–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री रेखाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 12 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19–4–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष ग्राम मेहताब का बेरा पटवारी मण्डल धारवीकलां तहसील शिव स्थित अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 397/85 रकबा 16.10 बीघा, खसरा नंबर 404/99 रकबा 109.18 बीघा एवं खसरा नंबर 409/99 रकबा 03.00 बीघा कुल 129.08 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के खेत प्रत्यर्थीगण संख्या 6 से 13 के खेतो के सेडासेड आये हुए है तथा सेढो का सही ज्ञान नही हो रहा है तथा बरसात के मौसम मे विप्रार्थीगण सेढो को जबरदस्ती तोड देते है इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेत की पैमाईश हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो हल्का पटवारी ने मौके पर विवाद मानते हुए सीमाज्ञान रिपोर्ट के बिना पुलिस ईमदाद के साथ नेखमबंदी का आदेश लाने का कहने पर अधीनस्थ न्यायालय मे

पंचायत को करवाये जाने का अधिकार दिया हुआ है तथा रैगाईश प्रार्थना पत्र पेश होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निस्तारण के लिए भेजा जाना आवश्यक है तथा ग्राम पंचायत उक्त प्रार्थना पत्र को 45 दिन मे निस्तारण करेगी जबकि वर्तमान मामले मे प्रार्थना पत्र संबंधित ग्राम पंचायत को न भेजकर सीधा नेखमबंदी का आदेश दे दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने के बावजुद उनकी ओर से 30 दिन की समयावधि मे कोई उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पीसी. के आदेश 5 नियम 9 (5) के प्रावधान का उल्लेख करते हुए एकतरफा बहस सुनकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

इसके अलावा वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे तथा वर्तमान अपीलांट की खातेदारी की भूमि के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी शिव के आदेश दिनांक 16–8–2019 की पालना मे दिनांक 20–8–2019 को पटवारी हल्का धारवीकला, निरिक्षक भू अ. निम्बला एवं सरपंच ग्राम पंचायत धारवीकलां एवं उपस्थित मौतबिरान के रूबरू मौका फर्द तैयार की गई । उक्त मौका फर्द मे भी वर्तमान अपीलांटगण आदमखां एवं भूरेखां के खातेदारी की भूमि पर बने टांका, ढाणी एवं मकानात आदि अन्य पडौसी खेत या कब्जे मे नही होना बताया अथार्त इनकी खातेदारी की भूमि किसी प्रकार से प्रभावित नही होती है तथा उक्त फर्द मौका अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–4–2019 को पारित होने के बाद की है जिसमे सही वस्तुस्थिति प्रकट की हुई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं उसकी पालना मे अपीलांटगण किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है फिर भी उक्त अपील रेस्पो0गण को परेशान करने के लिए की गई है, जो खारीज योग्य है ।

अंत में रेस्पो0 ने उक्त अपील को खारीज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–4–2019 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष ग्राम मेहताब का बेरा पटवार मण्डल धारवीकलां तहसील शिव स्थित अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 397/85 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नंबर 404/99 रकबा 109.18 बीघा एवं खसरा नंबर 409/99 रकबा 03.00 बीघा कुल 129.08 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के खेत प्रत्यर्थीगण संख्या 6 से 13 के खेतो के सेडासेड आये हुए है तथा सेढो का सही ज्ञान नही हो रहा है तथा बरसात

प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी पुलिस ईमदाद के साथ करवाई जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–4–2019 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शिव को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पुलिस ईमदाद के साथ नेखमबंदी किये जाने के आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील पेश की है ।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–1–2019 की ओर ध्यान दिलाते हए कथन किया कि प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब करने के आदेश थे, आदेशिका अनुसार सामान्य प्रकिया से अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने का आदेश दिया था परंतु सीधे ही पहली पेशी पर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये तथा तीसरी पेशी दिनांक 5–4–2019 को ही सी.पीसी. के आदेश 5 नियम 9 (5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतित हो जाने से प्रत्यर्थीगण की तामिल मानते हुए तथा प्रत्यर्थीगण की अनुपस्थिति एवं उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाते हुए अपीलांट की बहस सुनकर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत बिना सुनवाई के पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तामिली के संबंध मे सामान्य प्रकिया के तहत सर्वप्रथम सामान्य डाक से प्रत्यर्थी को सम्मन जारी करने पर सम्मन तामिल नही होने पर डाक से नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये जा सकते है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक प्रकिया का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच कराये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी को पत्थरगढी का आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर पक्षकारान को सीमाचिन्ह एवं सीमा का ज्ञान करवाया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर सीमाज्ञान निर्धारित करवाये बिना ही नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया, जो धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5 (21) राजस्व–4/80/36 दिनांक 4–9–1982 के क्रम मे कथन किया कि अविवादित मामलें मे पैमाईश व नेखमबंदी संबंधित ग्राम पंचायत को कराये जाने का अधिकार दिया गया है तथा पैमाईश प्रार्थनापत्र पेश होने पर संबंधित ग्राम

के मौसम मे विप्रार्थीगण सेढो को जबरदस्ती तोड देते है इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेत की पैमाईश हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो हल्का पटवारी ने मौके पर विवाद मानते हुए सीमाज्ञान रिपोर्ट के बिना पुलिस ईमदाद के साथ नेखमबंदी का आदेश लाने का कहने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी पुलिस ईमदाद के साथ करवाई जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये परंतु प्रत्यर्थीगण की ओर से 30 दिन की समयावधि मे कोई उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पीसी. के आदेश 5 नियम 9 (5) के प्रावधान का उल्लेख करते हुए एकतरफा अपीलांटगण की बहस सुनकर जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–4–2019 पारित किया है जिसमे प्रथमदृष्टियां किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

इसके अलावा वर्तमान अपील मे अपीलांट का यह कथन कि उन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया तो इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे उल्लेखित उनके खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखमबंदी हेतु तहसीलदार शिव को कमिश्नर नियुक्त कर दोनो पक्षो की मौजुदगी मे नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया ऐसे मे अपीलांटगण को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर प्राप्त था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–4–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19–4–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर